



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4171]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2019/पौष 6, 1941

No. 4171]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 2019/PAUSHA 6, 1941

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4672(अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 3 के खण्ड (ख) के उप-खंड (iv) के अनुसरण में, एतद्वारा भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 775(अ), तारीख 8 फरवरी, 2019 में संशोधन करती है, अर्थात्,—

उक्त अधिसूचना में “1 अप्रैल, 2020” शब्दों और अंको के स्थान पर “1 अप्रैल, 2021” शब्द और अंक को रखा जाएगा।

[फा. सं. एक्स.11014/12/2018-डीआर]

डॉ. मनदीप के. भण्डारी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्या का.आ. 775(अ), तारीख 8 फरवरी, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th December, 2019

S.O. 4672(E).—In pursuance of sub-clause (iv) of clause (b) of section 3 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby amends the notification of the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare) No. S.O. 775(E), dated the 8th February, 2019 published in PART II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, namely,—

In the said notification, for the words and figures “the 1st day of April, 2020”, the words and figures “the 1st day of April, 2021” shall be substituted.

[F. No. X.11014/12/2018-DR]

Dr. MANDEEP K. BHANDARI, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 775(E), dated the 8th February, 2019.